

Letter No.:NGT-437 /81-7-2019/44(Writ)/2016

From:

Bharat Prasad,
Under Secretary,
Department of Environment Forest and Climate Change,
Government of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Environment Forest and Climate Change Section-7 Lucknow:Dated: 16/10/2019


Sub: Application for directions on behalf of State of Uttar Pradesh in O.A. No. 670/2018 in the matter of Atul Singh Chauhan Versus Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors.

Sir,

Please find attached the application for appropriate directions in relation to the functioning of Monitoring Committees in O.A. No. 164/2018, O.A. 670/2018, O.A. No. 06/2012 & O.A. 300/2013 and for constituting the Oversight Committee. The application is being filed on behalf of State of Uttar Pradesh in the above captioned matter. Kindly place before Hon'ble Tribunal for its kind consideration and appropriate order.

Encl: As above.

Yours Sincerely,



(Bharat Prasad)
Under Secretary

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 670 OF 2018

IN THE MATTER OF:

ATUL SINGH CHAUHAN

..... APPLICANT

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
AND CLIMATE CHANGE & ORS.


..... RESPONDENTS

AND IN THE MATTER OF

AN APPLICATION FOR DIRECTIONS ON BEHALF OF STATE OF
UTTAR PRADESH

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That this Hon'ble Tribunal by various orders passed in different OAs has constituted monitoring committees regarding eradication of pollution in river Yamuna, implementation of action plan regarding river Ganga, preparation and implementation of action plan regarding river Hindon, Kali and Krishna, alleviation of pollution caused in Ramgarh Tal, Rapti, Rohani and Aami rivers in an around District Gorakhpur, implementation of action plan in Sonebhadra area, implementation of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 and issue related with illegal sand mining in the bed of Yamuna river in district Prayagraj.
2. That the said Committees have submitted interim reports alongwith action taken by the stakeholders before this Hon'ble Tribunal.
3. That this Hon'ble Tribunal after considering the submissions made by Chief Secretary, Government of U.P. in OA 606 of 2018 vide



order dated 26.04.2019 has passed interalia the following directions:-

"26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitory."

IV. DIRECTIONS:

48. In view of above, after discussion with the Chief Secretary, following further directions are issued:


XXXXX

iii. The Chief Secretary may personally monitor the progress, atleast once in a month, with all the District Magistrates. Focus of monitoring may include serious issues affecting environment including scientific capping of legacy waste dumping sites and adherence to Solid Waste Management Rules, 2016 in terms of Schedule- I (J), proper management of bio-medical waste and adherence to Bio Waste Management Rules, 2016, proper inventorisation and disposal of plastic waste and usage of plastic in road construction and cement kilns, inventorisation and proper handling of hazardous waste, effective management of ETPs and CETPs and independent assessment of their functioning, strengthening of STP network, adherence to Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, of new infrastructure being created in the State."



4. That the State Government in compliance of the order dated 26.04.2019 of this Hon'ble Tribunal developed a State and District level monitoring mechanism in order to ensure the progress of compliance of various environmental aspects as included in the order of this Hon'ble Tribunal. The State has also developed dedicated online portal for effective monitoring by the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh.
5. That the State understood the above mentioned order dated 26.04.2019 as if this Hon'ble Tribunal, besides directing the Chief Secretary to monitor environmental issues, has also granted liberty of choice to the State Government to take a decision on further continuation of the different monitoring committees constituted by this Hon'ble Tribunal. On the basis of the said understanding the State Government took a decision vide its Office Memoranda dated 14.06.2019 to implement the monitoring mechanism created at State level and District level and also stated that as a parallel mechanism has been developed by the State Government, the monitoring committees are no more required in the State and hence stand as dissolved.
6. That O.A. No. 670 of 2018; Atul Singh Chauhan Vs. MoEF and CC & Ors. came up for hearing on 04.07.2019, when this Hon'ble Tribunal also took up the issue of continuation of working of monitoring committees and this Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following orders:

"14. We may note that the Tribunal had to constitute the committees on account of complaints of failure of the State machinery to remedy serious environmental damages. The committees were to assist the Tribunal to enforce the law. Such committee cannot be dissolved by the state without reference to the Tribunal. Objections/contentions of the parties, including the State can be considered by the Tribunal on their merit. The Committees are meant to be for short duration till effective administrative mechanism is enforced for protection of environment and compliance of law to the satisfaction of the Tribunal. The State is



free to apprise the Tribunal about the working of the Committees from time to time. Unless further continuation of the committee is found necessary, their tenure will be till 31.12.2019. The committees may give their monthly reports with a copy to the Chief Secretary of the State. The Chief Secretary may give any response to such reports for consideration of this Tribunal. Next reports of all the committees be furnished on or before 31.08.2019 and thereafter on monthly basis. The committees may function strictly within the scope of task assigned to them under the orders of this Tribunal. Visit to any establishment or site, may be undertaken either by the Chairperson of the committee with other concerned officers or report may be sought through any available official channel."

7. That the State Government has esteemed regards for this Hon'ble Tribunal and is also confident that if the problems of the State Government are placed before this Hon'ble Tribunal, this Hon'ble Tribunal will pass the orders for redressal of those problems faced by the State Government. The State Government in compliance of the order dated 04.07.2019 of this Hon'ble Tribunal rectified its earlier Office Memorandums dated 14.06.2019 vide order dated 15.07.2019.

True copy of Office Memorandums dated 14.06.2019 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.

True copy of order dated 15.07.2019 rectifying the OM dated 14.06.2019 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**.

8. That the State of Uttar Pradesh has fully cooperated with the Committees for their functioning and facilitated them to work under the scope of task assigned to them under the orders of Hon'ble Tribunal.
9. That in O.A. No. 606/2018 In the matter of: Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016, Hon'ble Tribunal,



vide order dated 16.01.2019, constituted State Level Committee in the State of Uttar Pradesh headed by Hon'ble Mr. Justice Devi Prasad Singh, Former Judge, Allahabad High Court and comprising of Secretary, Urban Development/Local Bodies/Local Self Government (Member), Secretary Rural Development (Member), Secretary, Environment (Member), Secretary, Health (Member), Representative of CPCB (Member) and Member Secretary of SPCB (Member Secretary).

Hon'ble Tribunal vide order dated 04.07.2019 in O.A. No. 670/2018 in the matter of Atul Singh Chauhan Vs. MoEF&CC and Ors. has taken cognizance of order of Government of Uttar Pradesh dated 14.6.2019 for dissolution of State Level Committee under the Chairmanship of Hon'ble Justice Devi Prasad Singh with effect from 15.07.2019 and has ordered that the order dissolving this committee with effect from 15.07.2019 will stand subject to effective monitoring by the Chief Secretary. Hon'ble Tribunal has further directed the said Committee to give its report of the action taken up to 15.07.2019.

10. That Hon'ble Tribunal in its order dated 19.07.2019 passed in O.A. No. 116/2014 in the matter of Meera Shukla Vs. Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. has been pleased to direct the monitoring committee constituted by Hon'ble Tribunal under the chairmanship of Hon'ble Justice Devi Prasad Singh to submit its final report on or before 31.08.2019. Hon'ble Tribunal in its order dated 19.07.2019 has also directed Chief Secretary of Uttar Pradesh to suggest further course of alternative oversight mechanism after the committee concludes its proceedings. The operative portion of the said order is reproduced as below:-

"...While we place on record our appreciation for services rendered by the Committee, the Committee may conclude its proceedings and submit its final report which may set out recommendations cumulatively at one place in a tabular form on or before 31.08.2019 to this Tribunal. The Chief Secretary of Uttar Pradesh may suggest



further course of alternative oversight mechanism after the Committee concludes its proceedings."

11. That Hon'ble Tribunal in its order dated 25.07.2019 passed in O.A. No. 231/2014 & 66/2015 in the matter of Doaba Paryavaran Samiti Vs. State of U.P. & Ors., considering the expression made by Hon'ble Justice S.U. Khan regarding his inability to continue, has relieved him from the assignment. Hon'ble Tribunal has also directed Chief Secretary of Uttar Pradesh to suggest a substitute credible mechanism for implementation of the remedial action plan. The operative portion of the said order is reproduced as below:-

"9. Considering that now Justice Khan has expressed his inability to continue, the Chief Secretary, Uttar Pradesh may suggest a substitute credible mechanism for implementation of the remedial action plan. Till then, the measures may be supervised by the Chief Secretary, UP. The status of execution of action plan for rejuvenation of the river Hindon be also furnished with timelines and budgetary scheme."

12. That Hon'ble Tribunal in its order dated 07.08.2019 in O.A. No. 200/2014 in the matter of M.C. Mehta Vs. Union of India & Ors. has been pleased to direct the Monitoring Committee for Segment-B Phase-I under the Chairmanship of Hon'ble Justice Arun Tandon, former Judge, Allahabad High Court to submit final report by 31.10.2019. Hon'ble Tribunal has also directed Chief Secretary of Uttar Pradesh to personally monitor the progress and report compliance to the Tribunal in terms of progress at every quarter. The operative portion of the said order dated 07.08.2019 is reproduced as below:

*"30. The two Monitoring Committees for **Segment-A Phase-I** and **Segment-B Phase-I** may submit their final reports by 31.10.2019. Thereafter the Chief Secretaries of States of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal Director General, Namami Gange and Secretary, Water Resources, Jal Shakti, Government of India may personally monitor the progress and*




report compliance to the Tribunal in terms of progress at every quarter in a tabular form as follows:

Sr. No.	Targets to be achieved as per orders dated 10.12.2015, 13.07.2017 and 22.08.2019 the timelines	Targets achieved and the reasons for delay in compliance	Targets not achieved and the revised timelines proposed*	Action taken or suggested for violation of timelines or non-achieving of targets

*subject to payment of compensation as mentioned above

13. That Hon'ble Tribunal in O.A. No. 606/2018 has been pleased to pass order dated 26.04.2019 directing the Chief Secretary to personally monitor the compliance of various aspects related to waste management, sewage disposal, institutional enforcement, industrial pollution, estimation of environmental degradation and cost of restoration, policy related to re-enforcement of monitoring mechanism.
14. That in compliance of the orders of Hon'ble Tribunal, the State of Uttar Pradesh has formulated a comprehensive monitoring mechanism with well defined monitoring protocol. Hon'ble Tribunal may appreciate the facts that the monitoring mechanism developed by the State has the capacity for effective monitoring and enforcement of various regulations and statutes as required for ensuring the compliance of directions of this Hon'ble Tribunal.
15. That the Monitoring Mechanism developed by State in order to ensure strict compliance of various orders of Hon'ble NGT besides effective enforcement of various pollution control laws.

That in compliance of the orders of Hon'ble Tribunal the State has formulated a comprehensive monitoring mechanism with well defined monitoring protocol. The Monitoring mechanism developed by the State is a three-tier mechanism in which regular monitoring shall be done at District level and at State level. The monitoring at State is being undertaken at the level of dedicated monitoring committees under the chairmanship of Agriculture Production



Commissioner/Principal Secretaries and subsequently by the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh. The structure of Monitoring is as detailed below:-

A- At State Level :

The State developed monitoring mechanism taking into consideration the requirement of statutes and various directions passed by Hon'ble NGT. The details of various Monitoring Committees constituted by State of Uttar Pradesh are as follows:


Sl. No.	Name of Committee	Chairperson	Work area	Monitoring Committees of NGT substituted
1	State Level Waste Management Monitoring Committee O.M. No. 17/2019/NGT-261/55-Parya-2-2019-44(Writ)/2016 dated 14-06-2019	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary Urban Development	Compliance of Waste Management Rules	Monitoring Committee under Hon'ble Justice D.P. Singh in O.A. No. 606/2018. The term of this committee has expired on 15.07.19.
2	Implementation Committee (Reconstitution of Implementation Committee constituted earlier by Hon'ble NGT O.A. No. 200/2014, order dated 13-07-2017) O.M. No. 15/2019/NGT-259/55-Parya-2-2019-44(Writ)/2016 dated 14-06-2019	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary Environment, Forest & Climate Change	Monitoring of various pollution sources and Conservation of river Ganga	Monitoring Committee under Hon'ble Justice Arun Tandon in O.A. No. 200/2014. The term of this committee has been allowed upto 31.10.2019 by Hon'ble Tribunal in its order dated 07.08.2019 in O.A. No. 200/2014.
3	Air Quality Monitoring Committee (Reconstitution of AQMC constituted earlier by Hon'ble NGT O.A. No. 681/2018, order dated 08-10-2018) O.M. No. 16/2019/NGT-	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary Environment, Forest & Climate Change	Effective Air Pollution Control in the State and maintenance of Ambient Air Quality	Oversight Committee under Hon'ble Justice Rajes Kumar in O.A. No. 164/2018. The term of this committee has been allowed upto December 2019 by Hon'ble Tribunal in its order dated



	260/55-Parya-2-2019-44(Writ)/2016 dated 14-06-2019			04.07.2019 in O.A. No. 670/2018.
4	River Rejuvenation Committee (Reconstitution of RRC constituted earlier by Hon'ble NGT O.A. No. 673/2018, order dated 20-09-2018) O.M. No. 14/2019/NGT-258/55-Parya-2-2019-44(Writ)/2016 dated 14-06-2019	Agriculture Production Commissioner	Monitoring of various pollution sources and Conservation of all rivers in the State other than river Ganga	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoring Committee under Hon'ble Justice S.U. Khan in O.A. No. 66 /2015. Hon'ble NGT vide order dated 25.07.19 has relieved Justice S.U. Khan from the assignment. ➤ Monitoring Committee under Hon'ble Justice D.P. Singh O.A. No. 116/2014. Hon'ble NGT in its order dated 19.07.19 has directed the term of the committee on or before 31.08.19. ➤ Yamuna Monitoring Committee in O.A. No. 06/2012 & 300/2013. The term of this committee has been allowed upto December 2019 by Hon'ble Tribunal in its order dated 04.07.2019 in O.A. No. 670/2018.

B. District and Commissioner Level-

- (i) A District Level Committee under the Chairmanship of respective District Magistrates has been constituted by O.M. No. 13/2019/NGT-257/55-Parya-2-2019-44(Writ)/2016 dated 14-06-2019 for monthly monitoring of all the Environmental issues and compliance of Environmental Laws. It will prepare the District Environment Plan.
- (ii) The District Level Committee has 28 Officers of all the concerned District Level Departments.
- (iii) District Forest Officer is the convenor of the Committee.



C. The monitoring protocol shall be as below-

- (i) The State has developed dedicated UP Environment Compliance Portal www.upecp.in for monitoring of various issues in compliance of directions of Hon'ble NGT.
- (ii) The access of portal is given to Chief Secretary, State Level Monitoring Committees and the District Level Committee.
- (iii) Portal has been provided with dedicated Template for Online Filing of the Compliance Status to be reviewed at State Level by the State Level Committees. The issues requiring State Level intervention shall be flagged before the Chief Secretary, Uttar Pradesh.

D. Schedule of Monitoring:

Level of Monitoring	Schedule of Monitoring
District Level Committee under District Magistrates	1 st week of every month
District Level Committee under Commissioner	2 nd week of every month
State Level Committees	3 rd week of every month
Chief Secretary Level	4 th week of every month


16. That in compliance of the orders of Hon'ble Tribunal passed in the matters of O.A. No. 116/2014 in the matter of Meera Shukla Vs. Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. and O.A. No. 231/2014 & 66/2015 in the matter of Doaba Paryavaran Samiti Vs. State of U.P. & Ors., the State has envisaged an oversight mechanism for overall periodical review of the status of compliance of various environmental issues in compliance of the various directions of Hon'ble Tribunal, the functioning of State Level Monitoring Committees constituted by Government of Uttar Pradesh and to suggest on the implementation matters related to control of pollution in the State.

That the State proposes to constitute 3 Member Oversight Committee comprising of (i) former Hon'ble Justice, Hon'ble High Court/Formal District Judge, (ii) Member Administration and (iii) Member Technical to discharge the functions of this committee. The constitution of Oversight Committee shall be as follows:-



i.	Former Hon'ble Justice, Hon'ble High Court/Former District Judge	Member Judicial
ii.	Retired Chief Secretary/Additional Chief Secretary Level Officer with experience in the field of environmental management	Member Administration
iii.	Environmental Expert in the fields of industrial pollution, health impact due to water pollution, sewage pollution, ground water mapping and remediation, ETP, CETP, STP technology & design, efficient water management, air pollution, health impact due to air pollution, green house gas emissions, climate change, noise pollution, efficient use of energy, renewable energy, mining & reclamation, source apportionment, air pollution forecast, greening & plantation, waste management like hazardous waste, bio-medical waste, solid waste, plastic waste, e-waste, construction & demolition waste etc. and with a practical knowledge in the field of Reduce, Reuse, Recycle & EPR etc. from recognized institution of national/international universities of repute.	Member Technical

- (a) Each Committee Member will be supported by 03 Professionals/Senior Research Fellows from the field of environment, economics, law with knowledge of Information Technology etc., 01 Computer Operator/Personal Assistant and 01 Multi Tasking Staff. The support professionals and staff will be hired through outsourcing mechanism.
- (b) The Committee will be provided with a Secretariat in the premises of Directorate of Environment, Government of Uttar Pradesh along with conference room etc. The secretarial staff will include Accountant and Administrative Officer on deputation basis and Office Staff on outsourcing basis.
- (c) The Chairperson and Members of the Oversight Committee shall be given honorarium as decided by the Government along with the logistic support including vehicle with driver and TA/DA as per rules.
- (d) The Oversight Committee will ensure monitoring and periodical review of compliance status through the monitoring portal developed by the State for three tier monitoring at District as well as State Level. The Oversight Committee will be having interactive access to the dedicated




monitoring portal for undertaking regular review as well as uploading its recommendations for incorporation in the interest of environment compliance.

- (e) The Oversight Committee shall send its reports and recommendations to the Chief Secretary and the Chief Secretary shall get the recommendations implemented and also file the compliances related to reports/recommendations of the Committee in his quarterly compliance report to be filed in Hon'ble Tribunal.
- (f) The above Oversight Committee shall oversee the progress of functioning of District Environment Committee, State Level Waste Management Monitoring Committee, Implementation Committee, Air Quality Monitoring Committee (AQMC), River Rejuvenation Committee (RRC). The functioning of the Oversight Committee shall focus on-
 - (i) Planning & methodology to address the gaps in compliance status and conduct workshops for sensitization on various issues e.g. District Environment Plan etc.
 - (ii) Guiding regarding adoption of economically viable and efficient technologies in the State.
- (g) The functioning of the Oversight Committee shall be suggestive in nature and shall not interfere in the enforcement mechanism of the State. The Oversight Committee shall be reviewing periodically the status of compliance and functioning of the three tier monitoring mechanism in the State.


17. That in view of the above facts, this Hon'ble Tribunal may be pleased to allow this application, in the interest of justice on following grounds:

- (a) That Hon'ble Tribunal in its order dated 26.04.19 in OA No. 606/2018 has directed the Chief Secretary to ensure monitoring of various issues related to environmental conservation and pollution control. The directions of Hon'ble Tribunal also include creation of State Level monitoring mechanism.



- (b) That in compliance of the directions of Hon'ble Tribunal, the State has developed a robust three tier monitoring system wherein monitoring at highest level is being done on monthly basis through a dedicated online portal. Besides above efforts, the State has upgraded various monitoring committees like Implementation Committee, Air Quality Monitoring Committee, River Rejuvenation Committee and constituted a State Level Waste Management Monitoring Committee.
- (c) That the State also proposes to constitute an Oversight Committee to oversee the monitoring of compliance of various environmental issues in compliance of the orders of Hon'ble Tribunal dated 19.07.2019 in O.A. No. 116/2014 as well as order dated 25.07.2019 in O.A. No. 231/2014 & 66/2015.
- (d) That the State is confident and is of the view that the monitoring mechanism developed in compliance of the directions of Hon'ble Tribunal shall deliver effective monitoring and eventually lead to overall improvement in the quality of environment.

Thus, in respect of the Monitoring Committees constituted by Hon'ble Tribunal in compliance of orders of Hon'ble Tribunal, Oversight Committee constituted in O.A. No. 164/2018 in the matter of Ashwani Kumar Dubey Vs. Union of India & Ors. vide order dated 28.08.2018 and the Monitoring Committee constituted in O.A. No. 670/2018 titled Atul Singh Chauhan vs Ministry of Environment, Forests & Climate Change & Ors, Hon'ble NGT vide order dated 12.02.2019 under the Chairmanship of Hon'ble Justice Rajes Kumar, Former Judge, Allahabad High Court and the Monitoring Committee of Ms. Shailaja Chandra & Shri B.S. Sajwan constituted in O.A. No. 06/2012 in the matter of Manoj Mishra Vs. Union of India & Ors. and O.A. No. 300/2013 in the matter of Manoj Kumar Misra & Anr. Vs. Union of India & Ors., the State seeks appropriate direction of this Hon'ble Tribunal for passing conditional consequential order in compliance of the order of this Hon'ble Tribunal dated 04-07-2019 for their continuance only up to 31.10.2019 at this stage and not up to 31.12.2019 as stated in order of Hon'ble NGT. It is submitted that, Hon'ble Tribunal has




directed to the Monitoring Committees vide order dated 04.07.19 passed in OA No. 670/2018 in the matter of Atul Singh Chauhan Vs. MoEF&CC & Ors. to submit monthly reports with a copy to Chief Secretary and the next report of the Monitoring Committee is to be furnished on or before 31.08.2019. The Chief Secretary shall be submitting his response to such reports of these committees. Thus, further continuation of these committees, in view of completion of the mandate and monitoring system being implemented in the State, shall not be necessary. Keeping the above timeline in view, the term of said monitoring committees constituted under O.A. No. 164/2018 vide order dated 28.08.2018 in the matter of Ashwani Kumar Dubey Vs. Union of India & Ors., O.A. No. 670/2018 vide order dated 12.02.2019 in the matter of Atul Singh Chauhan vs Ministry of Environment, Forests and Climate Change & Ors. and O.A. No. 06/2012 & 300/2013 vide order dated 26.07.2018 may be allowed upto 31.10.2019 and not up to 31.12.2019. In view of the above, Hon'ble Tribunal may be pleased to accept the submissions and pass appropriate order in this regard.

18. That in view of aforesaid facts and circumstances coupled with the facts that there are several statutory committees functioning and the State Government has also developed monitoring mechanism, the State Government very humbly prays as follows:

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to:

- (a) Allow the Monitoring Committees under the chairmanship of Hon'ble Justice Rajes Kumar appointed vide order dated 28.08.2018 in O.A. No. 164 of 2018; Ashwani Kumar Dubey Vs Union of India & Ors. and Committee under the chairmanship of Hon'ble Justice Rajes Kumar in O.A. No. 670 of 2018; Atul Singh Chauhan Vs. MoEF and CC and Ors. vide order dated 12.02.2019, Committee of Ms. Shailaja Chandra & Shri B.S. Sajwan in O.A. No.



- 06/2012 & 300/2013; Manoj Mishra Vs. Union of India & Ors. to function upto 31.10.2019 and not up to 31.12.2019 as the State Government has placed the monitoring mechanism in order, and
- (b) Allow the constitution of 03 Member Oversight Committee in compliance of the orders of Hon'ble Tribunal passed in the matters of O.A. No. 116/2014 in the matter of Meera Shukla Vs. Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. and O.A. No. 231/2014 & 66/2015 in the matter of Doaba Paryavaran Samiti Vs. State of U.P. & Ors.
- (c) Pass such other order or orders which this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice.

LUCKNOW
DATED: 16.10.2019



(Bharat Prasad)
Under Secretary,
Department of Environment, Forest &
Climate Change,
Government of Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-15/2019/एन.जी.टी.-259/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गंगा नदी के संरक्षण एवं उद्धार हेतु ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 द्वारा निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

- | | |
|--|----------|
| i. मा0 न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन | -अध्यक्ष |
| ii. डा0 अनीता राय, पूर्व आई0पी0एस0 | -सदस्य |
| iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि | -सदस्य |
| iv. आई0आई0टी0 द्वारा नामित प्रतिनिधि | -सदस्य |

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 06.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन का अनुश्रवण एवं ऑडिट करते हुए समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 द्वारा Implementation Committee गठित की गई। मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि Implementation Committee विस्तृत रूप से ऐक्शन प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट लागू करने के लिए मैनर एवं मैथेडोलॉजी टेक्नोलॉजी सहित तथा स्थल पर प्रोजेक्ट की शुरुआत एवं पूर्ण होने और प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में अनुश्रवण करेगी।

पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-एन0जी0टी0-348/55-पर्या-2-2017-10(पर्या)/2008टी.सी. दिनांक 18.07.2017 द्वारा Implementation Committee निम्नवत् गठित की गई-

- | | |
|--|----------|
| i. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | -अध्यक्ष |
| ii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग | -सदस्य |
| iii. संबंधित अधिशासी निदेशक, नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा | -सदस्य |
| iv. श्री संदीप, निदेशक (टी0-II) नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा | -सदस्य |
| v. डॉ0 ए0बी0 अकोलकर, वर्तमान सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण | -सदस्य |

नियंत्रण बोर्ड

- | | |
|---|-------------|
| vi. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | -सदस्य |
| vii. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम | -सदस्य |
| viii. नगर आयुक्त, नगर निगम | -सदस्य |
| ix. संबंधित प्रोफेसर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि,
(आई०आई०टी०, रुड़की) | -सदस्य |
| x. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग | -सदस्य |
| xi. संबंधित निदेशक, नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा | -नोडल ऑफिसर |

3- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं क्वाटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों में व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों में विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई०टी०पी०), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी०ई०टी०पी०) की स्थापना/संचालन से संबंधित कार्ययोजनाओं एवं नियमावलियों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ०प्र० द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा० अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा० अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० द्वारा प्रदेश में गंगा नदी की जल गुणता के संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण का अनुश्रवण करते हुए मा० अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

4- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में मा० अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रेत्तर कार्य किये जाने के संबंध में दिनांक 26.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

" 26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries

cds
/

will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitory".

5- उपरोक्त प्रस्तर-4 में वर्णित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 द्वारा गठित उक्त अनुश्रवण समिति को समाप्त करते हुए प्रदेश में गंगा नदी में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण, जल गुणता संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु संचालित परियोजनाओं की उपयुक्तता एवं प्रगति के आंकलन हेतु मा0 अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं उक्त प्रकरण में पारित अन्य आदेशों के अनुपालन हेतु पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय झाप सं0-एन0जी0टी0-348/55- पर्या-2-2017-10(पर्या)/2008टी.सी. दिनांक 18.07.2017 द्वारा गठित Implementation Committee निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है-

- i. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग -अध्यक्ष
- ii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग -सदस्य
- iii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग -सदस्य
- iv. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग -सदस्य
- v. निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन -सदस्य
- vi. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 -सदस्य
- vii. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य
- viii. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ -सदस्य
- ix. निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली -सदस्य
- x. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम -सदस्य
- xi. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ -सदस्य
- xii. डॉ 0ए0ए0 काजमी, प्रोफेसर, (आई0आई0टी0, रुड़की) -सदस्य
- xiii. समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठन, विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि -सदस्य
- xiv. अपर निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश -नोडल ऑफिसर

6- उपरोक्त बिन्दु सं0-5 के अन्तर्गत Implementation Committee के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगे-

(क)

- i. मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 तथा मा0 अधिकरण द्वारा गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण एवं नदी जल संरक्षण हेतु पारित अन्य आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।
- ii. गंगा नदी के क्षेत्र में स्थापित सीवेज उपचार संयंत्रों एवं सी0ई0टी0पी0 का संचालन मानकों के अनुरूप किये जाने की स्थिति, कार्यरत सीवेज उपचार संयंत्रों एवं सी0ई0टी0पी0 को अपग्रेड किये जाने संबंधी परियोजना की प्रगति तथा प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना संबंधी प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।
- iii. गंगा नदी के क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के चिन्हिकरण एवं अधिसूचित किये जाने की समीक्षा।
- iv. गंगा नदी में औद्योगिक उत्प्रवाह से प्रदूषण के नियंत्रण की समीक्षा।
- v. गंगा नदी के क्षेत्र में स्थानीय निकायों में नियमानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति की समीक्षा।
- vi. गंगा नदी के विभिन्न नदीखण्डों में ई-प्लो को मेन्टेन किये जाने तथा नदी में अविरल जल प्रवाह सुनिश्चित किये जाने की स्थिति।
- vii. गंगा नदी की जलगुणवत्ता के अनुश्रवण की समीक्षा तथा नदी जल गुणता के संरक्षण हेतु कार्यवाही की समीक्षा।
- viii. गंगा नदी की जल गुणता से सम्बन्धित अन्य विषय-बिन्दु।
- ix. Implementation Committee द्वारा गंगा नदी के क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति के आंकलन एवं संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर स्थलीय भ्रमण कराकर स्थिति का आंकलन करायेगी।
- x. Implementation Committee द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-15/2019/एन.जी.टी.-259/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री अरुण टण्डन), ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।

(ds)

3. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/सिंचाई/कृषि/पंचायती राज/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन/भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन।
7. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
10. निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र०।
11. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
12. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
13. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, नार्थ जोन, लखनऊ।
14. परियोजना निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
15. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
16. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
17. डॉ० ए०ए० काजमी, प्रोफेसर, (आई०आई०टी०, रुड़की)।
18. अपर परियोजन निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-14/2019/एन.जी.टी.-258/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा हिण्डन, काली एवं कृष्णा नदी के संरक्षण, उद्धार, प्रदूषण हेतु उत्तरदायी दोषी व्यक्तियों/संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही तथा पीड़ितों के पुर्नवास सम्बन्धी दायित्वों के निर्वहन हेतु ओ0ए0 सं0-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 द्वारा निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

- i. मा0 न्यायमूर्ति श्री एस0यू0 खान -अध्यक्ष
- ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित -सदस्य वरिष्ठ वैज्ञानिक
- iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक/अभियन्ता -सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 08.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु समबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण, उद्धार एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 द्वारा निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

- i. मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह -अध्यक्ष
- ii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित वरिष्ठ प्रतिनिधि -सदस्य
- iii. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित वरिष्ठ प्रतिनिधि -सदस्य
- iv. डा0 ए0बी0 अकोलकर, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य
- v. उ0प्र0 जल निगम द्वारा नामित प्रतिनिधि -सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 23.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा नदी जल संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु योजनाओं के प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन तथा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी।

(क)

3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा यमुना नदी के संरक्षण एवं उद्धार हेतु ओ0ए0 सं0-6/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं 300/2013 मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 द्वारा दो सदस्यीय निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

- i. सुश्री शैलजा चन्द्रा, पूर्व मुख्य सचिव, दिल्ली -सदस्य
- ii. श्री बी0एस0 साजवान, पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पूर्व विशेषज्ञ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण -सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.07.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

4- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-673/2018 News Item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 द्वारा River Rejuvenation Committee (RRC) गठित की गई। मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि RRC द्वारा नदियों के क्रिटिकली प्रदूषित नदीखण्डों हेतु कार्ययोजना बनाई जाएगी तथा उक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाएगा। मा0 अधिकरण द्वारा आदेश में स्पष्ट किया गया कि RRC का संचालन प्रमुख सचिव, पर्यावरण के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में होगा।

पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-एन0जी0टी0-4140/55-पर्या-2-2017-49(पर्या)/2017 दिनांक 14.12.2018 द्वारा River Rejuvenation Committee (RRC) निम्नवत् गठित की गई है :-

- i. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय -सदस्य
- ii. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन -सदस्य
- iii. निदेशक, उद्योग विभाग, उ0प्र0 -सदस्य
- iv. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य

5- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं क्रिटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों में व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों में विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) की स्थापना/संचालन से

संबंधित कार्ययोजनाओं एवं नियमावलियों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ०प्र० द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा० अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा० अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-673/2018 News Item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018, ओ०ए० सं०-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण, उद्धार एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 तथा यमुना नदी के संरक्षण एवं उद्धार हेतु ओ०ए० सं०-6/2012 एवं 300/2013 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 तथा उक्त प्रकरणों में मा० अधिकरण द्वारा पारित अन्य आदेशों के अनुपालन में प्रदेश में नदियों की जल गुणता के संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्रियान्वित कार्ययोजनाओं का अनुश्रवण करते हुए मा० अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

6- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में मा० अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रेत्तर कार्य किये जाने के संबंध में दिनांक 26.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

" 26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitoring".

7- उपरोक्त प्रस्तर-6 में वर्णित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत ओ०ए० सं०-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018, ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.

(16)

08.2018, ओ0ए0 सं0-6/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं 300/2013 मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 द्वारा गठित उक्त तीन अनुश्रवण समितियों को समाप्त करते हुए प्रदेश में समस्त प्रमुख नदियों (गंगा नदी के अतिरिक्त) में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण, जल गुणता संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु संचालित परियोजनाओं की उपयुक्तता एवं प्रगति के आंकलन एवं उपरोक्त तीनों अनुश्रवण समितियों के समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु मा0 अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 20.09.2018 के अनुपालन में पर्यावरण अनुभाग उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-एन0जी0टी0-4140/55-पर्या-2-2017-49(पर्या)/2017 दिनांक 14.12.2018 द्वारा गठित River Rejuvenation Committee (RRC) निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है-

- i. कृषि उत्पादन आयुक्त -अध्यक्ष
- ii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग -सदस्य
- iii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग -सदस्य
- iv. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग -सदस्य
- v. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग -सदस्य
- vi. निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन -सदस्य
- vii. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 -सदस्य
- viii. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ -सदस्य
- ix. निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली -सदस्य
- x. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम -सदस्य
- xi. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ -सदस्य
- xii. डॉ ए0ए0 काजमी, प्रोफेसर, (आई0आई0टी0, रुड़की) -सदस्य
- xiii. समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठन, विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि -सदस्य
- xiv. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -नोडल ऑफिसर

8- उपरोक्त बिन्दु सं0-7 के अन्तर्गत River Rejuvenation Committee के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगे-

- i. मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-673/2018 News Item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB में पारित आदेश तथा ओ0ए0 संख्या-66/2015, ओ0ए0 सं0-116/2014, ओ0ए0 सं0-06/2012 एवं ओ0ए0 सं0-300/2013 में मा0 अधिकरण द्वारा नदियों में प्रदूषण नियंत्रण एवं नदी जल संरक्षण हेतु पारित अन्य आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।

(क)

- ii. नदियों के क्षेत्र में स्थापित सीवेज उपचार संयंत्रों एवं सी0ई0टी0पी0 का संचालन मानकों के अनुरूप किये जाने की स्थिति, कार्यरत सीवेज उपचार संयंत्रों एवं सी0ई0टी0पी0 को अपग्रेड किये जाने संबंधी परियोजना की प्रगति तथा प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना संबंधी प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।
- iii. नदियों के क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के चिन्हिकरण एवं अधिसूचित किये जाने की समीक्षा।
- iv. नदियों में औद्योगिक उत्प्रवाह से प्रदूषण के नियंत्रण की समीक्षा।
- v. नदियों के क्षेत्र में स्थानीय निकायों में नियमानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति की समीक्षा।
- vi. नदियों के विभिन्न नदीखण्डों में ई-प्लो को मेन्टेन किये जाने तथा नदी में अविरल जल प्रवाह सुनिश्चित किये जाने की स्थिति।
- vii. नदियों की जलगुणवत्ता के अनुश्रवण की समीक्षा तथा नदी जल गुणता के संरक्षण हेतु कार्यवाही की समीक्षा।
- viii. नदियों की जल गुणता से सम्बन्धित अन्य विषय-बिन्दु।
- ix. River Rejuvenation Committee द्वारा नदियों के क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति के आंकलन एवं संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर स्थलीय भ्रमण कराकर स्थिति का आंकलन करायेगी।
- x. River Rejuvenation Committee द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-14/2019/एन.जी.टी.-258/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री एस0यू0 खान), ओ0ए0 सं0-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।
3. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह), ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।

(क)

4. सुश्री शैलजा चन्द्रा, पूर्व मुख्य सचिव, दिल्ली एवं सदस्य, अनुश्रवण समिति (ओ०ए० सं०-६/२०१२ एवं ३००/२०१३ मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य)।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
7. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
8. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
9. प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई/कृषि/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/पंचायती राज/आवास एवं शहरी नियोजन/गृह/भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन।
10. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
13. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र०।
14. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
15. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
16. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, नार्थ जोन, लखनऊ।
17. परियोजना निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
18. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
19. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
20. डॉ० ए०ए० काजमी, प्रोफेसर, (आई०आई०टी०, रुड़की)।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(क)

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-16/2019/एन.जी.टी.-260/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले में तापीय विद्युत संयंत्रों, कोयले की खदानों, स्टोन क्रेशर्स एवं अन्य प्रदूषणकारी उद्योगों के संचालन से व्याप्त प्रदूषण के नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के आंकलन एवं समस्या के समाधान हेतु समयबद्ध कार्ययोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए ओ0ए0 सं0-164/2018 अश्वनी कुमार दुबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 द्वारा निम्न ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है-

- | | |
|--|----------|
| i. मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार | -अध्यक्ष |
| ii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि | -सदस्य |
| iii. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि | -सदस्य |
| iv. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि | -सदस्य |
| v. जिलाधिकारी, सोनभद्र | -सदस्य |
| vi. जिलाधिकारी, सिंगरौली | -सदस्य |

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 28.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-681/2018 News Item Published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan Titled "NCAP with Multiple timelines to Clear Air in 102 Cities to be released around August 15" में पारित आदेश दिनांक 08.10.2018 द्वारा Air Quality Monitoring Committee (AQMC) गठित की गई है। मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदेश में चिन्हित 15 Non-attainment Cities की वायुगुणता मानको के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिकोण से AQMC द्वारा कार्ययोजना का निर्माण किया जाए। मा0 अधिकरण द्वारा आदेश में स्पष्ट किया गया कि AQMC का संचालन प्रमुख सचिव, पर्यावरण के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में होगा तथा उक्त के साथ-साथ AQMC के कार्यों का अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा भी किया जाएगा।

(क)

पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-०१/५५-पर्या-
२-२०१९-०९(रिट)/२०१६ दिनांक ०२.०१.२०१९ द्वारा प्रदेश में Air Quality Monitoring
Committee निम्नवत् गठित की गई-

- | | |
|---|-----------------|
| i. आयुक्त, परिवहन विभाग, उ०प्र० | -सदस्य |
| ii. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन | -सदस्य |
| iii. निदेशक, उद्योग विभाग, उ०प्र० | -सदस्य |
| iv. निदेशक, पर्यावरण, उ०प्र० | -सदस्य |
| v. निदेशक, कृषि विभाग, उ०प्र० | -सदस्य |
| vi. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ | -सदस्य, समन्वयक |

३- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-६०६/२०१८ Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, २०१६ में पारित आदेश दिनांक २६.०४.२०१९ में प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं क्वाटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों में व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों में विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई०टी०पी०), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी०ई०टी०पी०) की स्थापना/संचालन से संबंधित कार्ययोजनाओं एवं नियमावलियों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ०प्र० द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा० अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा० अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक २६.०४.२०१९ के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० द्वारा प्रदेश में चिन्हित Non-attainment Cities एवं क्वाटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों के सम्बन्ध में ओ०ए० सं०-६८१/२०१८ एवं ओ०ए० सं०-१०३८/२०१८ में पारित पूर्व निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावी वायु प्रदूषण एवं स्वच्छ परिवेशीय वायुगुणता सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही एवं कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए मा० अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

४- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-६०६/२०१८ Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, २०१६ में मा० अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रेत्तर कार्य किये जाने के संबंध में दिनांक २६.०४.२०१९ को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

(क)

" 26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitory".

5- उपरोक्त प्रस्तर-4 में वर्णित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत मा0 अधिकरण द्वारा/ओ0ए0 सं0-164/2018 अश्वनी कुमार दुबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 द्वारा गठित ओवरसाइट समिति एवं किटिकली प्रदूषित औद्योगिक समूहों हेतु पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2973/55-पर्या-2014-47(पर्या)/2010, दिनांक 30.07.2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को समाप्त करते हुए प्रदेश में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण एवं वायुगुणता मानकों के अनुरूप रखे जाने हेतु मा0 अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 08.10.2018 के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-01/55-पर्या-2-2019-09(रिट)/2016 दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रदेश में गठित Air Quality Monitoring Committee निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है-

- | | |
|--|----------|
| i. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | -अध्यक्ष |
| ii. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग | -सदस्य |
| iii. प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग | -सदस्य |
| iv. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग | -सदस्य |
| v. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग | -सदस्य |
| vi. प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग | -सदस्य |
| vii. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन | -सदस्य |
| viii. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान विभाग | -सदस्य |
| ix. आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति | -सदस्य |
| x. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 | -सदस्य |
| xi. निदेशक, पर्यावरण | -सदस्य |
| xii. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय | -सदस्य |

(1/1)

- नार्थ जोन, लखनऊ
- xiii. ऑयल कम्पनीज (आई०ओ०सी०/बी०पी०सी०एल०/एच०पी०सी०एल०) के प्रतिनिधि —सदस्य
- xiv. सी०एन०जी० कम्पनीज (इन्द्रप्रस्थ गैस, गेल इण्डिया) के प्रतिनिधि —सदस्य
- xv. डा० सच्चिदानन्द त्रिपाठी, प्रोफेसर, आई०आई०टी०, कानपुर —विशेषज्ञ सदस्य
- xvi. समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठन, विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि —सदस्य
- xvii. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड —सदस्य समन्वयक

6- उपरोक्त बिन्दु सं०-5 के अन्तर्गत Air Quality Monitoring Committee के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगे-

- i. मा० अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-681/2018 News Item Published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan Titled "NCAP with Multiple timelines to Clear Air in 102 Cities to be released around August 15" में पारित आदेश तथा ओ०ए० सं०-1038/2018 News Item Published in "The Asian-Age" Authored by Sanjay Kaw Titled "CPCB to rank industrial units on pollution levels" में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।
- ii. प्रदेश में शहरी नियोजन के अन्तर्गत पर्यावरणीय विषयों का समावेश किये जाने की स्थिति।
- iii. प्रदेश के शहरों हेतु Comprehensive Mobility Plan के निर्माण एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण।
- iv. प्रमुख शहरों में विद्युत चलित बसों एवं बैटरी संचालित वाहनों की वर्तमान स्थिति एवं विस्तार किये जाने की योजना का अनुश्रवण।
- v. प्रमुख शहरों में स्वच्छ ईंधन सी०एन०जी० के वर्तमान नेटवर्क का विस्तारीकरण एवं नये शहरों में आपूर्ति किये जाने की समीक्षा।
- vi. शहरों में पार्किंग की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु पार्किंग नीति का अनुश्रवण।
- vii. शहरों में हरित पट्टिका के विकास किये जाने की समीक्षा।
- viii. मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (मेट्रो) के विस्तारीकरण की नीति की समीक्षा।
- ix. वाहनों के सुचारु रूप से संचालन हेतु एक्सप्रेस-वे, पेरिफेरल रोड, ओवरब्रिजेस की वर्तमान योजनाओं की प्रगति एवं प्रस्तावित विस्तारीकरण कार्ययोजना का अनुश्रवण।
- x. शहरों में Source Apportionment Study कराये जाने के सम्बन्ध में प्रगति का अनुश्रवण।

के

- xi. प्रदेश में शहरों की वायुगुणता के मापन हेतु CAAQMS नेटवर्क के विस्तारीकरण हेतु प्रगति का अनुश्रवण एवं बजट प्राविधान सम्बन्धी निर्णय।
- xii. औद्योगिक वायु प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति का अनुश्रवण।
- xiii. गैर अनुमन्य क्षेत्र में स्थापित/संचालित वायु प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुमन्य क्षेत्र में कराये जाने हेतु योजनाओं की स्थिति का अनुश्रवण।
- xiv. वाहन प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी0यू0सी0 प्रणाली एवं उक्त को अपग्रेड तथा विस्तारीकृत किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।
- xv. मिलावटी ईंधन की आपूर्ति रोके जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन।
- xvi. सड़कों की सफाई रात्रि में एवं मैकेनाइज्ड पद्यति पर किया जाना।
- xvii. ठोस अपशिष्ट, कूड़ा-कचरा जलाये जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण।
- xviii. कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट के अनुपालन की स्थिति।
- xix. Air Quality Monitoring Committee सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावी वायु प्रदूषण एवं स्वच्छ परिवेशीय वायुगुणता सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रदूषण की स्थिति के आंकलन एवं संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर स्थलीय भ्रमण कराकर स्थिति का आंकलन करायेगी।
- xx. Air Quality Monitoring Committee द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-16/2019/एन.जी.टी.-260/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार), ओ0ए0 सं0-164/2018 अश्वनी कुमार दुबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में गठित ओवरसाईट समिति।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास /कृषि/परिवहन/लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन/उद्यान/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, उ0प्र0, लखनऊ।

ck

6. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
8. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
9. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
12. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
13. निदेशक, पर्यावरण, उ०प्र०, लखनऊ।
14. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
15. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
16. ऑयल कम्पनीज (आई०ओ०सी०/बी०पी०सी०एल०/एच०पी०सी०एल०) के प्रतिनिधि।
17. सी०एन०जी० कम्पनीज (इन्द्रप्रस्थ गैस, गेल इण्डिया) के प्रतिनिधि।
18. डा० सच्चिदानन्द त्रिपाठी, प्रोफेसर, आई०आई०टी०, कानपुर।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
५/४
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-17/2019/एन.जी.टी.-261/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2018
लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2018 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मा0 न्यायाधीश श्री देवी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा उपरोक्त गठित समिति को संशोधित करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत् किया गया है-

- | | |
|--|---------------|
| i. मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह | -अध्यक्ष |
| ii. सचिव, नगर विकास विभाग | -सदस्य |
| iii. सचिव, पर्यावरण विभाग | -सदस्य |
| iv. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | -सदस्य |
| v. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | -सदस्य |
| vi. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि | -सदस्य |
| vii. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | -सदस्य संयोजक |

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा गठित उपरोक्त अनुश्रवण समिति का कार्यकाल निम्नवत् निर्धारित किया गया है-

".....The Committees may work tentatively for six months or as may be found necessary."

9/6

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 मे पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं किटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों में व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों में विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) की स्थापना/संचालन से संबंधित कार्ययोजनाओं एवं नियमावलियों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में समस्त अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा उक्त से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए मा0 अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 मे मा0 अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रेत्तर कार्य किये जाने के संबंध में दिनांक 26.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

" 26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitory".

4- उपरोक्त प्रस्तर-3 में वर्णित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 तथा प्रस्तर-1 में वर्णित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा अनुश्रवण समिति हेतु निर्धारित कार्यकाल के दृष्टिगत मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा गठित अनुश्रवण समिति को दिनांक 15.07.2019 से समाप्त माना जाएगा।

5- मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में प्रदेश में समस्त अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव

कि

चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा उक्त से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति गठित की जाती है-

- | | |
|--|-----------------|
| i. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग | -अध्यक्ष |
| ii. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | -सदस्य |
| iii. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग | -सदस्य |
| iv. प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग | -सदस्य |
| v. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | -सदस्य |
| vi. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग | -सदस्य |
| vii. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन विभाग | -सदस्य |
| viii. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग | -सदस्य |
| ix. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग | -सदस्य |
| x. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | -सदस्य |
| xi. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन | -सदस्य |
| xii. आयुक्त, वाणिज्यिक एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 | -सदस्य |
| xiii. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ | -सदस्य |
| xiv. सदस्य, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ | -सदस्य |
| xv. निदेशक, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ | -सदस्य |
| xvi. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | -सदस्य |
| xvii. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 | -सदस्य |
| xviii. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ | -सदस्य |
| xix. निदेशक, नीरी, नागपुर द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक | -विशेषज्ञ-सदस्य |
| xx. निदेशक, आई0आई0टी0आर0, लखनऊ द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक | -विशेषज्ञ-सदस्य |
| xxi. समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठन, विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि | -सदस्य |
| xxii. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन | -समन्वयक |

6- उपरोक्त बिन्दु सं0-5 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगे-

1/6

- i. मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश तथा मा0 अधिकरण द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पारित अन्य आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।
- ii. अपशिष्ट प्रबन्धन नियमवार समिति के कार्य दायित्व एवं Terms of References

अपशिष्ट प्रबन्धन नियम	कार्य दायित्व एवं Terms of References
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016	<ol style="list-style-type: none">i. स्थानीय निकायों में Bye Laws बनाये जाने की प्रगति का अनुश्रवण।ii. प्रदेश में ठोस अपशिष्ट के डोर टू डोर एकत्रण एवं नियमानुसार सेग्रिगेशन की स्थिति।iii. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थापित व्यवस्था की उपयुक्तता का अनुश्रवण।iv. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थापित परन्तु बन्द पड़ी व्यवस्थाओं के पुर्नसंचालन की स्थिति का अनुश्रवण।v. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के समयबद्ध संचालन की स्थिति का अनुश्रवण।vi. इनर्ट वेस्ट हेतु प्रदेश में सेनेटरी लैण्डफिल स्थापना की स्थिति का अनुश्रवण।vii. Legacy Waste के सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यों की प्रगति एवं प्रस्तावित समय-सीमा की उपयुक्तता का अनुश्रवण।viii. बल्क वेस्ट जनरेटर्स द्वारा नियमानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।ix. प्रदेश में अपशिष्ट की Burning & Littering नहीं किये जाने सम्बन्धी अनुपालन का अनुश्रवण।x. ठोस अपशिष्ट से निर्मित ईंधन आर0डी0एफ0 का प्रयोग ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के नियम 18 के अनुसार उद्योगों में किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।xi. उच्च कैलोरिफिक अपशिष्टों का उपयोग सीमेन्ट किलन अथवा तापीय विद्युत संयंत्रों में किये जाने के अनुश्रवण।xii. नियम 22 के अन्तर्गत प्राविधानित समय-सीमा के सापेक्ष कार्यों की प्रगति।xiii. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा हेतु बफर जोन अधिसूचित किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।xiv. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।

(को)

अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016	<ol style="list-style-type: none">i. स्थानीय निकायों में Bye Laws बनाये जाने की प्रगति का अनुश्रवण।ii. प्रदेश में प्लास्टिक कैंरी बैग/कटलरी/थर्मोकॉल उत्पाद पर नगर विकास विभाग के आदेश दिनांक 15.07.2017 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन का अनुश्रवण।iii. प्रदेश में अपशिष्ट प्लास्टिक के पृथक्करण, एकत्रण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं अन्तिम निस्तारण की स्थापित व्यवस्थाओं की उपयुक्तता का आंकलन तथा प्रस्तावित कार्ययोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण।iv. रिसाइकिल हेतु उपयुक्त प्लास्टिक अपशिष्ट को रिसाइकलर्स तक भेजे जाने की व्यवस्था की स्थापना का अनुश्रवण।v. अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग सड़क निर्माण, ऑयल के उत्पादन, ऊर्जा के उत्पादन में किये जाने की स्थिति।vi. प्लास्टिक अपशिष्ट के खुले में जलाये जाने पर प्रतिबन्ध के अनुपालन की स्थिति।vii. ब्राण्ड ओनर, प्रोड्यूसर द्वारा Extended Producer Responsibility के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा।viii. प्रदेश में प्रयुक्त मल्टी लेअर पैकेजिंग पर उत्पादन का नाम, पंजीकरण संख्या तथा मोटाई प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी प्रावधान के अनुपालन की स्थिति।ix. प्रदेश में पंजीकृत प्रोड्यूसर, रिसाइकलर एवं मैनुफैक्चरर।x. खुदरा विक्रेताओं और पथ विक्रेताओं द्वारा मानकों के विपरित निर्मित प्लास्टिक उत्पाद नहीं उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रावधान के अनुपालन की स्थिति।xi. नियम-17 के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड को प्रेषित किये जाने का अनुश्रवण।xii. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।
कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016	<ol style="list-style-type: none">i. कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन (सी0 एण्ड डी0) वेस्ट के नियमानुसार प्रबन्धन हेतु राज्य नीति बनाये जाने की स्थिति।ii. प्रदेश में स्थापित सी0 एण्ड डी0 वेस्ट प्रोसेसिंग संयंत्र के संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकार प्रदान किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।iii. प्रदेश में सी0 एण्ड डी0 में वेस्ट की प्रोसेसिंग हेतु संयंत्र स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्थिति।iv. टाउन एण्ड कन्ट्री प्लैनिंग विभाग द्वारा सी0 एण्ड डी0 वेस्ट प्रोसेसिंग स्थल को महायोजना में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही का अनुश्रवण।

क

	<p>v. प्रदेश में प्रस्तावित सी० एण्ड डी० वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना की उपयुक्तता का आंकलन।</p> <p>vi. सी० एण्ड डी० वेस्ट से निर्मित मेटेरियल का प्रयोग सरकारी परियोजनाओं में 10 से 20 प्रतिशत किये जाने हेतु पी०डब्ल्यू०डी० के Schedule of Rates में दरें निर्धारित किया जाना।</p> <p>vii. स्थानीय निकायो द्वारा सी० एण्ड डी० वेस्ट के एकत्रण की व्यवस्था विकसित किये जाने की प्रगति।</p> <p>viii. निर्माण परियोजनाओं जिनसे जनित वेस्ट 20 टन/दिन से अधिक हो द्वारा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वेस्ट प्रबन्धन योजना स्थानीय निकायों से स्वीकृत कराये जाने की स्थिति।</p> <p>ix. स्थानीय निकायों द्वारा सी०एण्ड डी० वेस्ट एकत्रण की दरें अधिसूचित किये जाने की स्थिति।</p> <p>x. सेवा प्रदाताओं जिनके द्वारा जल, सिवरेज, टेलीफोन, सड़क, ड्रेनेज की सुविधा प्रदान की जाती हैं द्वारा विस्तृत वेस्ट प्रबन्धन योजना बनाये जाने एवं समस्त जनित सी० एण्ड डी० वेस्ट को दैनिक हटाये जाने सम्बन्धी कार्य स्थानीय निकायों से विचार-विमर्श कर सम्पादित किये जाने की समीक्षा।</p> <p>xi. स्थानीय निकायों द्वारा सी० एण्ड डी० वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु Information, Education & Communication System विकसित किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।</p> <p>xii. कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016	<p>i. जैव चिकित्सा अपशिष्ट का नियमानुसार पृथक्करण श्रोत पर किये जाने का अनुश्रवण।</p> <p>ii. अपशिष्ट का नियमानुसार परिवहन, संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट शुद्धिकरण सुविधाओं में किये जाने तथा परिवहन हेतु बार-कोड व्यवस्था एवं जी०पी०एस० युक्त वाहनों का प्रयोग किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।</p> <p>iii. अपशिष्ट के निस्तारण हेतु स्थापित संयुक्त एवं कैप्टिव सुविधाओं में इन्सीन्टेटर की तकनीक नियम 5 (q) के अनुसार उच्चिकृत किये जाने की स्थिति।</p> <p>iv. चिकित्सा सुविधाओं एवं संयुक्त उपचार सुविधाओं द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार एवं सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने की स्थिति।</p> <p>v. दोषी इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही का अनुश्रवण।</p>

OK

	<p>vi. प्रदेश में स्थापित संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं के कार्यक्षेत्र आवंटित किये जाने हेतु नीति विषयक निर्णय।</p> <p>vii. प्रदेश में संचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं द्वारा अपशिष्ट शोधन हेतु चिकित्सा सेवाओं से ली जाने वाली दरों में समरूपता रखे जाने हेतु नीति विषयक निर्णय।</p> <p>viii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित किये जाने की स्थिति।</p> <p>ix. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016	<p>i. राज्य में ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम के अनुपालन हेतु Integrated Plan बनाये जाने की स्थिति।</p> <p>ii. औद्योगिक क्षेत्रों में ई-वेस्ट डिस्मेंटलिंग एवं रिसाइक्लिंग सुविधाओं के लिए भूमि चिन्हिकरण अथवा आवंटन किये जाने की प्रगति।</p> <p>iii. श्रम विभाग द्वारा ई-वेस्ट डिस्मेंटलिंग एवं रिसाइक्लिंग कार्य से सम्बन्धित कार्मिकों का पंजीकरण किये जाने की प्रगति का अनुश्रवण।</p> <p>iv. श्रम विभाग द्वारा ई-वेस्ट डिस्मेंटलिंग एवं रिसाइक्लिंग कार्य से सम्बन्धित कार्मिकों के वार्षिक स्वास्थ्य की जांच किये जाने की प्रगति का अनुश्रवण।</p> <p>v. श्रम विभाग द्वारा कार्मिकों के लिए Skill Development Activity किये जाने की स्थिति।</p> <p>vi. राज्य में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत डिस्मेन्टलर एवं रिसाइक्लर्स।</p> <p>vii. ब्राण्ड ओनर्स तथा प्रोड्यूसर्स द्वारा Extended Producer Responsibility के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा।</p> <p>viii. ई-वेस्ट के अवैध प्रसंस्करण की स्थिति।</p> <p>ix. प्रदेश में Orphan E-waste की स्थिति तथा क्या उक्त वेस्ट प्राधिकृत रिसाइक्लर्स को स्थानीय निकायों द्वारा प्रेषित किया गया है।</p> <p>x. प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट में ई-वेस्ट मिश्रित होने की स्थिति तथा ऐसा पाये जाने पर क्या स्थानीय निकायों द्वारा उक्त को पृथक्कृत कर प्राधिकृत रिसाइक्लर्स के माध्यम से निस्तारित किया जाता है।</p> <p>xi. ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
परिसंकटमय	<p>i. प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु वर्तमान</p>

क

अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016	में स्थापित टी0एस0डी0एफ0 (संयुक्त उपचार एवं निस्तारण सुविधाएं) द्वारा नियमों के अनुरूप संचालन की स्थिति। ii. प्रदेश में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 की समीक्षा एवं समयबद्ध स्थापना एवं संचालन की योजना का अनुश्रवण। iii. प्रदेश में अवैध रूप से निस्तारित परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्य की प्रगति का अनुश्रवण। iv. परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।
-----------------------------	--

- iii. राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन अनुश्रवण समिति प्रदेश में समस्त अपशिष्ट प्रबंधन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबंधन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा उक्त से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर स्थलीय भ्रमण कराकर स्थिति का आंकलन करायेगी।
- iv. राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन अनुश्रवण समिति द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-17/2019/एन.जी.टी.-261/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह), ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में गठित अनुश्रवण समिति।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/पशुधन/श्रम/पंचायती राज/ग्राम्य विकास/गृह/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

क

5. आयुक्त, वाणिज्यिक एवं मनोरंजन कर, उ०प्र० लखनऊ।
6. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
8. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
11. सदस्य, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
12. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ।
13. निदेशक, पर्यावरण, उ०प्र०, लखनऊ।
14. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
15. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
16. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ।
17. निदेशक, नीरी, नागपुर द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक।
18. निदेशक, आई०आई०टी०आर०, लखनऊ द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-13/2019/एन.जी.टी.-257/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) के संचालन तथा मा0 अधिकरण द्वारा विभिन्न वादों यथा ओ0ए0 सं0-306/2016, ओ0ए0 सं0-681/2018, ओ0ए0 सं0-48/2016, ओ0ए0 सं0-1038/2016, ओ0ए0 सं0-673/2018, ओ0ए0 सं0-173/2018, ओ0ए0 सं0-317/2015, ओ0ए0 सं0-200/2014 एवं समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत की जाए। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 15 शहर अति वायु प्रदूषित, 09 औद्योगिक समूह क्रिटिकली/सिरियसली प्रदूषित एवं 12 प्रमुख नदियों के नदीखण्ड क्रिटिकली प्रदूषित श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित हैं। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पर्याप्त सुविधाएं स्थापित नहीं है तथा प्लास्टिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई-वेस्ट, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट के प्रबन्धन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की उपरोक्त असन्तोषजनक स्थिति एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु प्रदेश में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रभावी अनुश्रवण तन्त्र विकसित किया जाना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत समस्त प्रशासनिक स्तरों एवं सम्बन्धित विभागों के स्तर पर मा0 अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में सम्पादित कार्यवाही का सतत अनुश्रवण किया जा सके।

2- उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित कराये जाने तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु निम्न अनुश्रवण तन्त्र स्थापित किया जाता है-

दि

क-अनुश्रवण के कार्य हेतु वेब पोर्टल का विकास: उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुश्रवण कार्य की सुगमता हेतु एक वेब पोर्टल "U.P. Environmental Compliance Portal" विकसित किया गया है जिसका यू०आर०एल० www.upecp.in है।

ख-जिला स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया: जिले स्तर पर वर्तमान में विभिन्न अनुश्रवण समितियां जैसे जिला पर्यावरण समिति, जिला प्लान्टेशन समिति, जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (बायो मेडिकल वेस्ट), जिला स्तरीय समिति (क्रिटिकली प्रदूषित क्षेत्र) संचालित है।

(1) भविष्य में जिला स्तर पर समस्त पर्यावरणीय विषयों एवं प्रदूषण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समग्र रूप से अनुश्रवण हेतु उपरोक्त वर्णित समितियों के दायित्वों को समाहित करते हुए एक समिति "जिला पर्यावरणीय समिति" का पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है-

- | | |
|---|----------|
| 1. जिलाधिकारी | -अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | -सदस्य |
| 3. वरिष्ठ पुलिस-अधीक्षक | -सदस्य |
| 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी | -सदस्य |
| 5. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी, स्थानीय निकाय | -सदस्य |
| 6. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण | -सदस्य |
| 7. नगर आयुक्त, नगर निगम | -सदस्य |
| 8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत | -सदस्य |
| 9. जिला पूर्ति अधिकारी (खाद्य एवं रसद) | -सदस्य |
| 10. मुख्य चिकित्सा अधिकारी | -सदस्य |
| 11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग | -सदस्य |
| 12. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग | -सदस्य |
| 13. अधिशासी अभियन्ता, यू०पी० पावर कार्पो० लि० | -सदस्य |
| 14. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी | -सदस्य |
| 15. पुलिस अधीक्षक, यातायात | -सदस्य |
| 16. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र | -सदस्य |
| 17. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०डी०सी० | -सदस्य |
| 18. जिला पंचायत राज्य अधिकारी | -सदस्य |
| 19. जिला कृषि अधिकारी | -सदस्य |
| 20. जिला उद्यान अधिकारी | -सदस्य |
| 21. जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी | -सदस्य |
| 22. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी | -सदस्य |

23. समस्त ऑयल एवं गैस कम्पनीज के प्रतिनिधि —सदस्य
 24. समस्त सिटी गैस नेटवर्क के प्रतिनिधि —सदस्य
 25. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड —सदस्य
 26. जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकतम 02 पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन —सदस्य
 27. जिलाधिकारी द्वारा यथावश्यकता नामित अन्य अधिकारी/प्रतिनिधि (कैन्टॉनमेन्ट बोर्ड, जिला पंचायत, जल निगम, रेलवे, भू-जल, औद्योगिक संगठन, संयुक्त जैव चिकित्सा व्यवस्था एवं शिक्षण संस्थानों/विशेषज्ञआदि) —सदस्य
 28. जिला वन अधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी —सदस्य संयोजक

(2) जिला पर्यावरणीय समिति की बैठक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा निर्धारित समयतालिका के अनुसार माह में एक बार माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। माह के द्वितीय सप्ताह में संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा मण्डलीय समीक्षा बैठक के दौरान जिला स्तर पर पर्यावरण समितियों की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की जायेगी जिसमें जिलाधिकारी व जिला पर्यावरण समिति के सदस्य संयोजक उपस्थित होंगे। जिला पर्यावरण समिति द्वारा निम्न प्रकार कार्यवाही की जायेगी—

(i) उ0प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर विषयवार अनुपालन सूचना प्रस्तुत किये जाने हेतु टैम्पलेट प्रदर्शित होंगे। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा उक्त टैम्पलेट पर संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त कर संकलित की जायेगी तथा उसकी एक प्रति माह के प्रथम कार्य दिवस में सदस्य संयोजक को उपलब्ध करायी जायेगी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोर्टल का लॉग-इन आई0डी0 एवं पासवर्ड जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। अनुश्रवण पोर्टल पर उपलब्ध टैम्पलेट पर सूचनायें पूर्ण किये जाने हेतु जिला स्तर पर निम्न अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे—

क्र0 सं0	अनुपालन हेतु टैम्पलेट का विषय	नोडल अधिकारी
1.	ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट प्रबन्धन	नगर निगम क्षेत्र हेतु नगर आयुक्त तथा स्थानीय निकायों हेतु प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय
2.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट	मुख्य चिकित्साधिकारी
3.	ई-वेस्ट प्रबन्धन	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
<p>उक्त के अतिरिक्त प्रमुख नदियों के किटिकली प्रदूषित नदी खण्ड, अति वायु प्रदूषित 15 शहरों एवं किटिकली/सीरियसली प्रदूषित 09 औद्योगिक समूहों से संबंधित एक्शन प्लान में कार्यवाही के बिन्दु के समक्ष चिन्हित संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा अनुपालन सूचना निर्धारित टैम्पलेट पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।</p>		

(ii) सदस्य संयोजक उक्त सूचना के आधार पर बैठक का एजेण्डा तैयार करेंगे तथा जिला अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करायेंगे। बैठकोपरान्त बैठक का कार्यवृत्त तैयार किये जाने का उत्तरदायित्व सदस्य संयोजक का होगा।

(iii) जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा बैठकोपरान्त अनुपालन सूचना में आवश्यक संशोधन करते हुये सूचना तथा बैठक का कार्यवृत्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के सहयोग से वेब पोर्टल www.upecp.in पर अपलोड करायी जायेगी।

(iv) मण्डलायुक्त के स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक हेतु संकलित सूचना एवं जिला पर्यावरण समिति का कार्यवृत्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी उपलब्ध करायी जायेगी। मण्डलायुक्त के स्तर पर बैठक का एजेण्डा क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार कर बैठक करायी जायेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित करवाकर वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा।

ग-राज्य स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया: मा० अधिकरणद्वारा पारित विभिन्न आदेशों के द्वारा गठित की गयी अनुश्रवण समितियों को समाप्त करते हुए मुख्य सचिव के स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था के अंतर्गत विषयवार राज्य स्तरीय समितियों का गठन/पुनर्गठन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तर से अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिला हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी भी नामित हैं।

(1) मुख्य सचिव के स्तर पर अनुश्रवण व्यवस्था के अंतर्गत विषयवार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समितियों एवं उनके कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैं:-

क्र० सं०	समिति का नाम	कार्यक्षेत्र	समिति के अध्यक्ष/पर्यवेक्षक
(i)	इम्प्लीमेंटेशन कमेटी	गंगा नदी में नदी जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का अनुश्रवण	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
(ii)	रिवर रिजुविनेशन कमेटी	गंगा नदी की समस्त सहायक नदियों में नदी जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का अनुश्रवण	कृषि उत्पादन आयुक्त
(iii)	एयर क्वालिटी, मानिटोरिंग कमेटी	प्रदेश में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण एवं परिवेशीय वायु गुणता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराए जाने हेतु कार्यों की प्रगति का	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्र० सं०	समिति का नाम	कार्यक्षेत्र	समिति के अध्यक्ष/पर्यवेक्षक
		अनुश्रवण	
(iv)	राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति	समस्त प्रकार के अपशिष्ट यथा ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-वेस्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट एवं कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमॉलिशन अपशिष्ट के नियमानुसार सुरक्षित निस्तारण किए जाने की स्थिति का अनुश्रवण	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग

उक्त राज्य स्तरीय समितियों की अनुश्रवण बैठक माह के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। जिला पर्यावरणीय समिति द्वारा वेब पोर्टल पर अपलोड की गयी मासिक प्रगति उक्त राज्य स्तरीय समितियों के लाग-इन पर प्रदर्शित होगी। राज्य स्तरीय विभागीय समितियों द्वारा उक्त मासिक प्रगति आख्याओं व कार्यवृत्तों का अनुश्रवण एवं अध्ययन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समितियों द्वारा जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट में ऐसे बिन्दु पृथक किये जाएंगे जिन पर अनुपालन हेतु राज्य स्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक होगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण का संक्षिप्त विवरण, बैठक का एजेण्डा तथा ऐसे समस्त बिन्दुओं तथा नियमों के अनुपालन की स्थिति को मुख्य सचिव की अनुश्रवण बैठक में निर्णय हेतु वेब पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे। राज्य स्तरीय समितियों द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु एक नोडल अधिकारी भी नामित किया जायेगा ताकि बैठकों का कार्यवृत्त एजेण्डा इत्यादि तैयार कर वेब पोर्टल पर अपलोड सुगमता से कराये जा सकें।

(2) कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा जिला स्तर पर अनुश्रवण हेतु नामित किये गये अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान जिला स्तर पर आयोजित बैठक में पर्यावरण अनुपालन के बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जायेगी। जिला पर्यावरण समिति के सदस्य संयोजक द्वारा पर्यावरण अनुपालन की वेब पोर्टल पर अपलोड की गयी अद्यतन सूचना बैठक के एजेण्डा सहित नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। नोडल अधिकारियों द्वारा पर्यावरण अनुपालन के संबंध में अपनी टिप्पणी माह के अंत में वेब पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी। नोडल अधिकारी की उक्त टिप्पणी जिला स्तर पर एवं राज्य स्तरीय समितियों के स्तर पर पोर्टल में प्रदर्शित होगी जिसका संज्ञान लेकर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त टिप्पणियों के आधार पर मुख्य सचिव स्तर पर बैठक हेतु एजेण्डा बिन्दु सम्मिलित किये जायेंगे।

घ-मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया: मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा प्रत्येक माह के चतुर्थ सप्ताह में मा० अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन एवं सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुख्य सचिव की उक्त बैठक हेतु पोर्टल में प्रदर्शित राज्य स्तरीय समितियों द्वारा विषयवार प्रस्तुत अनुपालन की अद्यतन स्थिति एवं चिन्हित बिन्दु, जिन पर मुख्य सचिव स्तर से हस्तक्षेप आवश्यक है, सहित बैठक का एजेण्डा तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा। पर्यावरण विभाग द्वारा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर अनुमोदित करवाकर वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा। उक्त कार्य हेतु सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल अधिकारी होंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-13/2019/एन.जी.टी.-257/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/कार्यक्रम क्रियान्वयन/गृह/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/नगर विकास/पंचायती राज/आवास एवं शहरी नियोजन/कृषि/श्रम/सिंचाई/ परिवहन/ लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/खाद्य एवं रसद/सूचना प्रौद्योगिकी, उ०प्र० शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
8. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, उ०प्र०।
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
10. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
11. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
12. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उ०प्र०।
13. जिलाधिकारी, द्वारा नामित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकतम 02 पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन।
14. जिला पर्यावरण समिति के समस्त सदस्यों को संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कल्पना अर्वास्थी)
प्रमुख सचिव।

Annexure-2

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-N.G.N-304/81-7-2019-44(रिट)/2016

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 15 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के माध्यम से 07 अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया था। मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-606/2018: Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु निर्देश दिनांक 16.01.2019 को दिये गये थे। तत्कम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन दिनांक 26.04.2019 को मा0 अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए थे। उक्त उपस्थिति/सुनवाई के दौरान मा0 अधिकरण द्वारा उ0प्र0 राज्य हेतु गठित की गई अनुश्रवण समितियों के संचालन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हुए दिनांक 26.04.2019 को निम्न आदेश पारित किये गये थे, जिसका सुसंगत अंश निम्न प्रकार है:-

" 26.....After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further..... ".

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2019/एन.जी.टी.-260/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 दिनांक 14.06.2019 द्वारा मा0 अधिकरण द्वारा गठित अनुश्रवण समिति को समाप्त कर दिया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	समिति का नाम	अध्यक्ष का नाम	मा0 एन0जी0टी0 का आदेश जिसके द्वारा समिति का गठन किया गया है	उ0प्र0 शासन द्वारा समिति को समाप्त किए जाने संबंधी आदेश का विवरण
1.	ओवरसाइट समिति	मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेश	ओ0ए0 सं0 164/2018 अश्वनी कुमार दुबे बनाम	16/2019/एन.जी.टी.-260/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016

		कुमार	यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2018	दिनांक 14.06.2019
--	--	-------	--	-------------------


3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 670/2018 अतुल सिंह चौहान बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

".....13- It is very clear from the observations relied upon for discontinuing the State level Committees quoted above, that the same relate only to solid waste management Committees.Since order dated 14.06.2019 is erroneous, the same may not be given effect to. The State of Uttar Pradesh may pass an appropriate order rectifying the situation in above terms within one week from today. This order will apply in respect of all the committees dealt with in the order dated 14.06.2019. However, order dissolving committee dealing with the solid waste management with effect from 15.07.2019 will stand subject to effective monitoring by the Chief Secretary....."

4- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए उपरोक्त आदेश के अनुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा केवल 01 अनुश्रवण समिति (मा0 न्यायमूर्ति डी0पी0सिंह की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समिति) की समाप्ति को सशर्त मान्य किया गया है तथा शेष अन्य समितियों के समाप्ति आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उ0प्र0 शासन को 01 सप्ताह में उचित आदेश पारित कर त्रुटि संशोधन हेतु निर्देशित किया गया है।

5- इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मा0 अधिकरण द्वारा गठित की गयी अनुश्रवण समितियों के कार्य करने में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पर्यवेक्षण में विकसित किये गये पर्यावरण अनुश्रवण तंत्र के दृष्टिगत उपरोक्त समिति को समाप्त किये जाने संबंधी उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 14.06.2019 को मान्य किये जाने संबंधी संशोधन प्रार्थना पत्र मा0 अधिकरण में दाखिल किया जा रहा है।

6- उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 04.07.2019 के समादर में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2019/एन.जी.टी.-260/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 दिनांक 14.06.2019 द्वारा उक्त अनुश्रवण समिति की समाप्ति आदेश को वापस लिया जाता है। उक्त शासनादेश में दी गयी अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।


(डॉ० अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या-N.G.T-309/81-7-2019-44(रिट)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार), ओ0ए0 सं0-164/2018 अश्वनी कुमार दुबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में गठित ओवरसाइट समिति।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/कृषि/परिवहन/लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन/उद्यान/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
8. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
9. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
12. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।
13. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
14. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।

15. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
16. ऑयल कम्पनीज (आई०ओ०सी० / बी०पी०सी०एल० / एच०पी०सी०एल०) के प्रतिनिधि।
17. सी०एन०जी० कम्पनीज (इन्द्रप्रस्थ गैस, गेल इण्डिया) के प्रतिनिधि।
18. डा० सच्चिदानन्द त्रिपाठी, प्रोफेसर, आई०आई०टी०, कानपुर।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
क
(कल्पना अर्वस्थी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या-N.J.T-310/81-7-2019-44(रिट)/2016
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
लखनऊ: दिनांक: 15 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के माध्यम से 07 अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया था। मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-606/2018: Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु निर्देश दिनांक 16.01.2019 को दिये गये थे। तत्कम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन दिनांक 26.04.2019 को मा0 अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए थे। उक्त उपस्थिति/सुनवाई के दौरान मा0 अधिकरण द्वारा उ0प्र0 राज्य हेतु गठित की गई अनुश्रवण समितियों के संचालन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हुए दिनांक 26.04.2019 को निम्न आदेश पारित किये गये थे, जिसका सुसंगत अंश निम्न प्रकार है:-

" 26.....After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further..... "

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2019/एन.जी.टी.-259/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 दिनांक 14.06.2019 द्वारा मा0 अधिकरण द्वारा गठित अनुश्रवण समिति को समाप्त कर दिया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	समिति का नाम	अध्यक्ष का नाम	मा0 एन0जी0टी0 का आदेश जिसके द्वारा समिति का गठन किया गया है	उ0प्र0 शासन द्वारा समिति को समाप्त किए जाने संबंधी आदेश का विवरण
1.	अनुश्रवण समिति	मा0 न्यायामूर्ति श्री अरूण	ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन	15/2019/एन.जी.टी.-259/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016

		टण्डन	ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018	दिनांक 14.06.2019
--	--	-------	--	-------------------

3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 670/2018 अतुल सिंह चौहान बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

".....13- It is very clear from the observations relied upon for discontinuing the State level Committees quoted above, that the same relate only to solid waste management Committees.Since order dated 14.06.2019 is erroneous, the same may not be given effect to. The State of Uttar Pradesh may pass an appropriate order rectifying the situation in above terms within one week from today. This order will apply in respect of all the committees dealt with in the order dated 14.06.2019. However, order dissolving committee dealing with the solid waste management with effect from 15.07.2019 will stand subject to effective monitoring by the Chief Secretary....."

4- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए उपरोक्त आदेश के अनुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा केवल 01 अनुश्रवण समिति (मा0 न्यायमूर्ति डी0पी0सिंह की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समिति) की समाप्ति को सशर्त मान्य किया गया है तथा शेष अन्य समितियों के समाप्ति आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उ0प्र0 शासन को 01 सप्ताह में उचित आदेश पारित कर त्रुटि संशोधन हेतु निर्देशित किया गया है।

5- इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मा0 अधिकरण द्वारा गठित की गयी अनुश्रवण समितियों के कार्य करने में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पर्यवेक्षण में विकसित किये गये पर्यावरण अनुश्रवण तंत्र के दृष्टिगत उपरोक्त समिति को समाप्त किये जाने संबंधी उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 14.06.2019 को मान्य किये जाने संबंधी संशोधन प्रार्थना पत्र मा0 अधिकरण में दाखिल किया जा रहा है।

6- उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 04.07.2019 के समादर में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2019/एन.जी.टी.-259/55-पर्या-2-2019-44(रिट) /2016 दिनांक 14.06.2019 द्वारा उक्त अनुश्रवण समिति की समाप्ति आदेश को वापस लिया जाता है। उक्त शासनादेश में दी गयी अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।



(डॉ० अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या-NOT-310/81-7-2019-44(रिट)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन), ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/सिंचाई/कृषि/पंचायती राज/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन/भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
10. निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0।
11. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।
12. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।।

13. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, नार्थ जोन, लखनऊ
14. परियोजना निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
15. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
16. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
17. डॉ ए०ए० काजमी, प्रोफेसर, (आई०आई०टी०, रुड़की)।
18. अपर परियोजन निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या-NGA-311/81-7-2019-44(रिट)/2016
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
लखनऊ: दिनांक: 15 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के माध्यम से 07 अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया था। मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-606/2018: Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु निर्देश दिनांक 16.01.2019 को दिये गये थे। तत्कम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन दिनांक 26.04.2019 को मा0 अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए थे। उक्त उपस्थिति/सुनवाई के दौरान मा0 अधिकरण द्वारा उ0प्र0 राज्य हेतु गठित की गई अनुश्रवण समितियों के संचालन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हुए दिनांक 26.04.2019 को निम्न आदेश पारित किये गये थे, जिसका सुसंगत अंश निम्न प्रकार है:-

" 26.....After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further..... "

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-14/2019/एन.जी.टी.-258/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 दिनांक 14.06.2019 द्वारा मा0 अधिकरण द्वारा गठित 03 अनुश्रवण समितियों को समाप्त कर दिया गया था, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	समिति का नाम	अध्यक्ष का नाम	मा0 एन0जी0टी0 का आदेश जिसके द्वारा समिति का गठन किया गया है	उ0प्र0 शासन द्वारा समिति को समाप्त किए जाने संबंधी आदेश का विवरण
1.	अनुश्रवण समिति	मा0 न्यायमूर्ति श्री डी0पी0 सिंह	ओ0ए0 सं0 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम	14/2019/एन.जी.टी.-258/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016

			म्युनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2018	दिनांक 14.06.2019
2.	अनुश्रवण समिति	मा० न्यायमूर्ति श्री एस०यू० खान	ओ०ए० सं० 66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018	14/2019/एन.जी. टी-258/55-पर्या-2- 2019-44(रिट)/2016 दिनांक 14.06.2019
3.	अनुश्रवण समिति (02 सदस्यीय)	श्रीमती शैलजा चंद्रा (सदस्य)	ओ०ए० सं० 06/2012 एवं 300/2013 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018	14/2019/एन.जी. टी-258/55-पर्या-2- 2019-44(रिट)/2016 दिनांक 14.06.2019


3- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या 670/2018 अतुल सिंह चौहान बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

".....13- It is very clear from the observations relied upon for discontinuing the State level Committees quoted above, that the same relate only to solid waste management Committees.Since order dated 14.06.2019 is erroneous, the same may not be given effect to. The State of Uttar Pradesh may pass an appropriate order rectifying the situation in above terms within one week from today. This order will apply in respect of all the committees dealt with in the order dated 14.06.2019. However, order dissolving committee dealing with the solid waste management with effect from 15.07.2019 will stand subject to effective monitoring by the Chief Secretary....."

4- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए उपरोक्त आदेश के अनुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा केवल 01 अनुश्रवण समिति (मा0 न्यायमूर्ति डी0पी0सिंह की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समिति) की समाप्ति को सशर्त मान्य किया गया है तथा शेष अन्य समितियों के समाप्ति आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उ0प्र0 शासन को 01 सप्ताह में उचित आदेश पारित कर त्रुटि संशोधन हेतु निर्देशित किया गया है।

5- इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मा0 अधिकरण द्वारा गठित की गयी अनुश्रवण समितियों के कार्य करने में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पर्यवेक्षण में विकसित किये गये पर्यावरण अनुश्रवण तंत्र के दृष्टिगत उपरोक्त 03 समितियों को समाप्त किये जाने संबंधी उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 14.06.2019 को मान्य किये जाने संबंधी संशोधन प्रार्थना पत्र मा0 अधिकरण में दाखिल किया जा रहा है।

6- उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 04.07.2019 के समादर में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-14/2019/एन.जी.टी.-258/55-पर्या-2-2019-44(रिट) /2016 दिनांक 14.06.2019 द्वारा उपर्युक्त तीनों अनुश्रवण समितियों की समाप्ति आदेश को वापस लिया जाता है। उक्त शासनादेश में दी गयी अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।



(डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या-NOT-311 /81-7-2019-44(रिट)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री एस0यू0 खान), ओ0ए0 सं0-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।
3. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह), ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।

4. सुश्री शैलजा चन्द्रा, पूर्व मुख्य सचिव, दिल्ली एवं सदस्य, अनुश्रवण समिति (ओ०ए० सं०-6/2012 एवं 300/2013 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य)।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
7. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
8. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
9. प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई/कृषि/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/पंचायती राज/आवास एवं शहरी नियोजन/गृह/भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन।
10. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
13. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र०।
14. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
15. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
16. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, नार्थ जोन, लखनऊ।
17. परियोजना निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
18. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
19. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
20. डॉ० ए०ए० काजमी, प्रोफेसर, (आई०आई०टी०, रुड़की)।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।